19/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री किशना राम प्रजापत उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नरपत सिंह राजपुरोहित अनुपस्थित। उभयपक्ष वकुलाज की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब के साथ प्रस्तुत की गई जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 618/304 क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर गैर मु. आबादी तथा खसरा नं. 620/610 क्षेत्रफल ~~0.03~~ 0.3000 हेक्टेयर गै. मु. आबादी दर्ज है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में से रास्ते की मांग की जा रही है वह भूमि ग्राम सेणा के खसरा नं. 304 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होकर नये बट्टा नंबर खसरा नंबर 618/304 व खसरा नं. 620/610 कुल क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर गै. मु. आबादी दर्ज हो चुकी है।

3

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) के तहत कृषि भूमियों में से ही किसी खातेदार कृषक को नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है। इस प्रकार विधि के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमियो में से ही किसी खातेदार कृषक को नया मार्ग उपलब्ध करवाया जा सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि से नया मार्ग चाहा गया है वह भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो जाने से प्रार्थीगण धारा 251(A) के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होते है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251(A) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली	